



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933

No. 7]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 7(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध, समूह "क" (तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सीमा सुरक्षा बल के जल स्कंध में समूह 'क' (तकनीकी स्टाफ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध, समूह 'क' (तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शोप-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) शोप-I से निम्नलिखित रूप में परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :

(i) कोड अक्षर शोप (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :—

एच — मनोवैज्ञानिक

एच — श्रवण क्षमता

ए — एपेंडेजेज

पी — शारीरिक क्षमता

ई — दृष्टि क्षमता

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्म क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

- 1 भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य ।
- 2 सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों को श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।
- 3 "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।
- 4 अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।
- 5 कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

6. सेवा का दायित्व .- इन नियमों के अधीन किसी भी प्रवर्ग के पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होगा।

7. ज्येष्ठता सूची का अनुरक्षण- सीमा सुरक्षा बल, जल स्कन्ध द्वारा बल के मुख्यालय पर प्रत्येक रैंक के लिए केन्द्रीयकृत पृथक ज्येष्ठता सूची अनुरक्षित होगी।

8. ज्येष्ठता - (1) उच्च रैंक धारण करने वाले व्यक्ति चाहे वह किसी भी स्थानापन्न या अधिष्ठायी क्षमता पर हों निम्न रैंक धारण करने वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) किसी रैंक में ज्येष्ठता, उस रैंक में निरंतर नियमित सेवा के आधार पर अवधारित होगी:

परन्तु समान रैंक धारण करने वाले और उसी तारीख को प्रोन्नत किए कार्मिकों की ज्येष्ठता उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

9. निरर्हताएं .-वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. अन्य देशीय की अपात्रता .—ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल, या भूटान के नागरिक इन नियमों के अधीन नियुक्ति, पंजीयन या नियोजन से विवर्जित नहीं होगा ।

11. अधिवर्षिता : (1) ऐसे आफिसर जो कमांडेंट के रैंक से भिन्न उच्चतर पद धारण किए हुए हैं, मास के उस तारीख को, जिसमें वे साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, के अंतिम तारीख के अपराहन को सेवानिवृत्त होंगे ; और अन्य रैंक के आफिसर जो उस मास के अंतिम तारीख को जिसमें वे सत्तावन वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, के अपराहन को सेवानिवृत्त होंगे ।

परन्तु ऐसे अधिकारी, जिनके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, यथास्थिति साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराहन पर सेवानिवृत्त होंगे ।

(2) किसी भी व्यक्ति को साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

12. शिथिल करने की शक्ति .— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

13. निर्वचन .— यदि इन नियमों के निर्वचन की बावत कोई प्रश्न उठता है तो उसका केन्द्र सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।

14. व्यावृत्ति .— इन नियमों के कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.उप महानिरीक्षक (जल स्कंध)	01* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क,' राजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	वेतन बैंड 4 (37400-67000) रूपए + ग्रेड वेतन 8900 रू0

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

